उपखण्ड स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 25.02.2016 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में ग्राम बामी, तहसील लालगंज, जिला मीरजापुर की आराजी नं0– 1743, 1744, मीरजापुर रीवां मार्ग एन0एच0 135 किमी0 18 के दाहिने पटरी पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के निर्माण हेतु 0.1454 हे0 संरक्षित वन भूमि वन अधिकार 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम स्तरीय समिति बामी, ग्राम पंचायत गंगहरा की बैठक दिनांक 18.02.2016 पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा इनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न हीं किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बामी तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के आराजी सं0– 1743, 1744 मीरजापुर रीवां मार्ग एन0एच0 135 किमी0 18 दाहिनी पटरी पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आटउ लेट स्थापित करने में हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

नाम / हस्ताक्षर

क– अध्यक्ष–उप खण्ड अधिकारी / उपजिलाधिकारी लालगंज मीरजापुर। .....

ख– सदस्य– क्षेत्रीय वनाधिकारी, लालगंज

ग– जिला पंचायत द्वारा नामित तीन सदस्य

1– बी0डी0सी0 / जिला पंचायत सदस्य.....

2– बी0डी0सी0 / जिला पंचायत सदस्य.....

3– बी0डी0सी0 / जिला पंचायत सदस्य .....

घ– सदस्य– ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बामी वि0 ख0-लालगंज मीरजापुर

अशोक कुमार सिंह
स0वि0अ0 (स0क0)
लालगंज मीरजापुर

अशोक कुमार सिंह
स0वि0अ0 (स0क0)
लालगंज मीरजापुर

समाज कल्याण विभाग
तहसील-लालगंज मीरजापुर